राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1318 / 2012

उदयभान सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 13.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– **अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)**
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 18.09.1999 के जरिये 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.10.1994 से स्वीकृत किया गया था। इसके पश्चात आदेश दिनांक 24.11.2008 के द्वारा चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.10.1994 के स्थान पर दिनांक 01.10.1996 संशोधित किया गया, जिसे इस अपील में चुनौती दी गयी हैं

2. अपीलार्थी अधिवक्ता का तर्क है कि 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आगे किये जाने के सम्बन्ध में यह कारण बताया है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 05.07.1995 के द्वारा 2 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन रहा है कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में जो दण्डादेश पारित किया गया था वह दिनांक 05.07.1995 को किया गया था, जो 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के पश्चात पारित किया गया था। ऐसे में उस दण्ड को विचार में नहीं रखा जा सकता है। अतः आलोच्य आदेश दिनांक 24.11.2008 गलत रूप से पारित किया गया है। अपीलार्थी ने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत राजस्थान राज्य कुलदीप सिंह चौहान 1998(3) डब्ल्यू एल सी पेज संख्या–1 प्रस्तुत किया है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी श्री उदयभान सिंह द्वारा संस्था राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, भीनमाल जिला जालौर संस्था में कार्यरत रहते हुए संस्था के कार्यवाहक

प्रधानाध्यापक को पाठशाला में ही टोटम पोल (लाठी) से बेरहमी तौर से पीटकर चोट पहुंचायी गयी। प्रकरण पुलिस अधिकारी थाना भीनमाल ने मुकदमा संख्या–100 दिनांक 23–9–1987 द्वारा 353–332 आईपीसी में दर्ज कर तफ्तीश की व साबित पाया गया। प्रकरण में अपीलार्थी को विभागीय आदेश क्रमांक–30673–79 दिनांक 26/10/1987 द्वारा राज्य सेवा से निलम्बित किया गया एवं विभागीय पत्रांक 3687–88 दिनांक 30–1–1988 द्वारा राजस्थान सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही कर आरोप जारी किया गया। प्रकरण में जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के तथ्यों पर विचार कर विभागीय आदेशांक 21381–88 दिनांक 5–7–1995 द्वारा पारित दण्डादेश के अनुसार अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम 14(पप) के अंतर्गत संचयी प्रभाव से 2 वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। विभागीय आदेश क्रमांक–30673–79 26–10–1987 द्वारा राज्य सेवा से निलम्बित किया गया एवं विभागीय पत्रांक 3687–88 दिनांक 30–1–1988 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही कर आरोप पत्र जारी किया गया। प्रकरण में जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के तथ्यों पर विचार कर विभागीय आदेशांक 21381–88 दिनांक 5–7–1995 द्वारा पारित दण्डादेश के अनुसार अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 14(पप) के अंतर्गत संचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी को नियमानुसार 9 वर्ष की पूर्ण सेवा करने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 1–10–1994 के स्थान पर दिनांक 1–10–1996 से देय होना संशोधित किया गया। जिसमें किसी प्रकार की दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं है। अपीलार्थी ने उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग को दिनांक 16–8–2010 को पत्र लिखा जिसमें अपीलार्थी ने विभागीय संशोधित आदेशांक 29536–38 दिनांक 24–11–2008 जिसके अनुसार अपीलार्थी को पूर्व में दिये गये चयनित वेतनमान की तिथी दिनांक 1–10–1994 के स्थान पर दिनांक 1–10–1996 संशोधित किये जाने का निर्णय है. इसका उल्लेख करते हुए पुर्नरीक्षित वेतनमान 1996 के विकल्प पत्र में परिलाभ की तिथी दिनांक 1–9–1996 के स्थान पर दिनांक 2–10–1996 किये जाने की अनुमति चाही गयी थी। जिसके

निस्तारण क्रम में उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग द्वारा वित्त विभाग की आई.डी. संख्या–221101271 दिनांक 13–9–2011 के अनुसरण में दिये गये मार्गदर्शन अनुसार अपीलार्थी कर्मचारी को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय चयनित वेतनमान की तिथी दिनांक 1–10–1996 के स्थान पर संशोधित तिथी दिनांक 1–10–1997 निहित की गयी तदानुसार कार्यवाही कर अपीलार्थी को अवगत करा दिया गया।

4. प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के विरूद्ध 17 सीसीए नियम के तहत कार्यवाही की गयी थी। अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 23.09.1987 को एफआईआर दर्ज हुई थी। अपीलार्थी को दिनांक 26.10.1987 को निलम्बित किया गया था और दिनांक 30.01.1988 को 17 सीसीए नियम के तहत आरोप पत्र जारी किया था। इस प्रकार आरोप पत्र की दिनांक ही महत्वपूर्ण है। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता ने कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.10.2018 प्रस्तुत किया है, जिसमें यह माना गया है कि आरोप पत्र पर विचार किये जाने की दिनांक से ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

5. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। हमारे मत में चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में वहीं नियम लागू होता है जो पदोन्नति के सम्बन्ध में लागू होता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण कुलदीप सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1998(3) डब्ल्यू एल सी पेज 1 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया है :–

> we hold that for judging suitability for grant of first second and third selection grades the dates when an employee completes 9, 18 and 27 years of his service and APARs preceding 7 years of his entitlement would be relevant.

6. अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी जिस वर्ष से चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करता है उससे पूर्व का सेवाभिलेख देखा जाना चाहिए। अपीलार्थी को दिनांक 01.10.1994 को चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी के सम्बन्ध में इससे पूर्व का सेवाभिलेख ही देखा जाना उचित है। अपीलार्थी को दिनांक 05.07.1995 को दण्डित किया गया है, जो विचार में नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में अपीलार्थी के सम्बन्ध में 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.10.1994 के स्थान पर 01.10.1996 संशोधित किया जाना उचित प्रकट होता है। जहां तक कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.10.2018 के सम्बन्ध में प्रश्न है तो यह

परिपत्र उन मामलों के सम्बन्ध में जारी किया गया है, जिनमें सिफारिशे बन्द लिफाफे में रखी गयी है। उक्त परिपत्र इस प्रकरण में लागू नहीं होता है।

7. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। आलोच्य आदेश दिनांक 24.11.2008 जिसके द्वारा अपीलार्थी का 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ 2 वर्ष आगे बढाया गया था, को अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ पूर्व निर्धारित दिनांक 01.10.1994 से ही प्रदान किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)